रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1994/पौष 16, 1915
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1994/PAUSA 16, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1994

का.आ. 9(अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में यान के गुरुतर वजन अर्थात् निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 416(अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञा दे सकेगी ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त प्रकार के यान पर लागू होंगे ।

सारिणी

वाहन का प्रकार	पंजीकृत एक्सल भार	समग्र परिमाप
40 मीटर ऊंचा एरियल लैडर प्लेटफार्म	दो टायरों सहित सामने की धुरी 6,880 कि.ग्रा.	लम्बाई—12.00 मीटर ऊंचाई—3.90 मीटर
बम्बई फायर ब्रिग्रेड के स्वामित्व में	आठ टायरों सहित टैंडम धुरी 20,170 कि.ग्रा.	रीयर ओवरहैंग 69.20% (4080 मि.मि.)

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित उपांतरणों/शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(1) राज्य लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भार के बारे में लगाई गई पाबंदियों का पालन किया जाएगा और वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर लाने से पहले इन प्राधिकरणों से अनुमति ले ली जाएगी ।

[फा.सं. आर टी-11042/11/93-एम.वी.एल.]
सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1994

S.O. 9(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weight that the maximum safe laden weight and the maximum safe axle weight of each axle of the vehicle as specified in this Ministry's notification No. S.O. 416(E) dated 8-6-89 issued under sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) may be permitted for the vehicle of the type specified in column (1) of the table given below in the locality specified in column (2) of the said table;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 58 of the said Act, the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicle for a period of one year from the date of this order subject to the modifications/ conditions specified hereunder below the said table :—

TABLE

Type of vehicle	Registered axle weight	Overall dimensions
Aerial ladder platform 40 mtrs. height owned by Bombay Fire Brigade.	Front axle with two tyres—6,880 kgs. Tandam axle with eight tyres—20,170 kgs.	Length —12.00 mtrs. Height—3.90 mtrs. Rear Overhang —69.26% (4080 mm)

The above relaxation is subject to the following modifications/conditions:-

(1) load restrictions on various roads, stipulated by the PWD local authorities of State Government of Maharashtra shall be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are brought on such public road

[F. No. RT-11042/11/93-MVL]
C. S KHAIRWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994